न्यायालय-विशेष न्यायाधीश (गैंगेस्टर ऐक्ट),
अपर सत्र न्यायाधीश/एफ.टी.सी.-द्वितीय, चन्दौली।

फौजदारी मुकदमा सँख्या- 46 सन् 2019

राज्य उत्तर प्रदेश प्रति जनार्दन यादव वगैरह

मु.अ.सं.-25/2019,
धारा-3(1)उ.प्र.गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी कियाकलाप नि.अधि.1986
थाना-कन्दवा, जिला-चन्दौली।

<u>आरोप</u>

मैं, योगेश दुबे, विशेष न्यायाधीश (गैंगेस्टर ऐक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश/ फास्ट ट्रैक कोर्ट-द्वितीय, चन्दौली आप अभियुक्तगण :-

जर्नादन यादव, प्यारे लाल एवं अशोक राम को निम्न् आरोप से आरोपित करता हूँ :-

यह कि आप लोगों ने उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-7/86 के प्रवर्तन के उपरान्त अधिनियम की धारा-2(ख) के अन्तर्गत एक गिरोह बनाया है तथा अपने व गिरोह के सदस्यो के आर्थिक, भौतिक व दुनियावी लाभ के लिए आप लोग अपराध कारित करते हैं तथा इसी क्रम में आप अभियुक्तगण उपरोक्त ने गैंगचार्ट मे प्रदर्शित निम्न्लिखित अपराध कारित किये हैं :-

1. मु.अ.सं. 08/2019, धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम एवं 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम।

इस प्रकार आप अभियुक्तगण ने ऐसा अपराध कारित किया है जो धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986 के अन्तर्गत दण्डनीय है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा मैं निर्देशित करता हूँ कि आप लोगो का विचारण उपरोक्त आरोप पर इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा ।

दिनाँक-24.12.2021 ई.

(योगेश दुबे)
अपर सत्र न्यायाधीश/
फास्ट ट्रैक कोर्ट-द्वितीय
विशेष न्यायाधीश(गैंगेस्टर एक्ट)
चन्दौली।

उक्त आरोप अभियुक्तगण उपरोक्त को पढकर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्तगण ने आरोप से इनकार किया तथा विचारण की माँग किया।

दिनाँक-24.12.2021 ई.

(योगेश दुबे)
अपर सत्र न्यायाधीश/
फास्ट ट्रैक कोर्ट-द्वितीय
विशेष न्यायाधीश(गैंगेस्टर एक्ट)
चन्दौली।